प्रेषक,

गंगाराम, आई. ए. एस.
प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,
महानगर, लखनऊ ।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

(3) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0)
पदेन जिला प्रबन्धक,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,
उत्तर प्रदेश ।

पत्र सं0- 146/ST /मू.अनु./97-98 दिनाँक- 20 सितम्बर, 1997

विषय :- वर्ष- 1997-98 में निगम द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु <u>समयबद्ध कार्य सारिणी का प्रेषण</u> ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृर्षित करते हुये अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष-1997-98 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या- 11 "अ" के अन्तर्गत क्रियान्वित निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन इस निगम के परिपत्र संख्या- 157/पी.एस./97 दिनाँक- 7.4.97 तथा पत्र संख्या- 34 दिनाँक- दिनाँक- 7.4.97 में वर्णित निर्देशों एवं निम्नाँकित समय सारिणी के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी :-

<u>समय सारिणी</u>

1- लाभार्थियों का चयन — 30 अप्रैल

2- भौतिक लक्ष्यों का आवंटन — 15% शहरी क्षेत्र (कानपुर नगर एवं देहरादून में 50% शहरी क्षेत्र में)
85% ग्रामीण क्षेत्र

3- वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति का त्रैमासिक विभाजन

अवधि	त्रैमास	क्रमिक
प्रथम त्रैमास	20 प्रतिशत	20 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास	20 प्रतिशत	40 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास	60 प्रतिशत	100 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास	वित्त पोषित परियोजनाओं का शत-प्रतिशत अनुश्रवण/भौतिक सत्यापन तथा वसूली कार्य ।	

4- निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति (सेक्ट्रोल विवरण)

महिलाएं	40 प्रतिशत/स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना में 50 प्रतिशत ।
कृषि क्षेत्र की परियोजनायें	55 प्रतिशत
अकृषि क्षेत्र की परियोजनायें	45 प्रतिशत

5- परिसम्पत्तियों का सत्यापन — 15 दिन — शहरी क्षेत्र में सहायक प्रबन्धक, ग्रामीण क्षेत्र में सहा. वि.अ../ग्रा. वि.अ..(स0क0)

क्रमशः:-/2 पर

6- भौतिक सत्यापन	प्रत्येक माह 50 लाभार्थी जिला प्रबन्धक, ग्रामीण क्षेत्र के 25 प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कराया जायेगा प्रत्येक माह 5 लाभार्थियों का सत्यापन जिलाधिकारी, प्रत्येक माह 10 लाभार्थियों का रेन्डम सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी । इसके अतिरिक्त तृतीय त्रैमास में वार्षिक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के उपरान्त चतुर्थ त्रैमास में पुनः अभियान के तौर पर वित्त पोषित परियोजनाओं का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा ।
7- स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट के आधार पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति	प्रत्येक माह की 2 तारीख तक जिलों से निगम मुख्यालय को प्रेषित करना ।
8- मार्जिन मनी ऋण एवं अनुविनि ऋण की वसूली	जनपद स्तर पर वसूली सहायक/सहायक लेखाकार प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम 50 वसूली नोटिस तथा 25 वसूली प्रमाण-पत्र ,निगत कियेजायेंगे तथा सूची स्टाफ़ बैठक में क्षेत्रीय कर्मचारियों को दी जायेगी ।
9- खातों का रख-रखाव	अधिकतम् 2 खाते प्रत्येक माह की 10 तारीख तक खातों का मिलान बकों से मासिक समाधानीकरण के साथ ही प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल, में विशेष अभियान चलाकर कि कोई धनराशि बैंक में शेष न रहे ।
10- आवंटित धनराशि का उपभोग	आवंटित धनराशि का एक मद से दूसरे मद में व्यय न करने तथा बैंकों से वापस प्राप्त अवितरित अनुदान एवं मार्जिन मनी ऋण की धनराशि बगैर निगम के प्रबन्ध निदेशक की अनुमति के अन्यत्र व्यय न की जाय ।

भवदीय,

(गंगाराम)
प्रबन्ध निदेशक ।

पृष्ठांकन सं0- 146 / तद् दिनांक- 1997

प्रतिलिपि :- प्रमुख सचिव,समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन,लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

2- सचिव,समाज कल्याण,उ0प्र0 शासन,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3- निदेशक,समाज कल्याण,उ0 प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

4- समस्त मण्डलीय/सहायक/उप निदेशक,समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(गंगाराम)
प्रबन्ध निदेशक ।